राजस्थान-सरकार

निदेशालय, संस्कृत-शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, ब्लॉक नं.06, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302015)

0141&2704357 0141&2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमाङ्क :- निसंशि/वि.मि./2015/29566-70 दिनाङ्क -13-08-2015

कार्यालय आदेश

संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को विद्यालय सहायक भर्ती, 2015 के लिए आवेदन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक पं.1(36)शिक्षा-6/2008 दिनांक 13.06.2013 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार दिशा- निर्देश प्रदान किये जाते है :-

- संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को जारी अनुभव प्रमाण पत्र में शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं अन्य नियमानुसार देय राजकीय अवकाश को सेवा में व्यवधान नहीं मानते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
- विद्यार्थी मित्र द्वारा जिस अवधि में जिन-जिन विद्यालयों में कार्य किया है तत्समय की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।
- विद्यार्थी मित्र द्वारा जिस संकुल में कार्य किया है उस संकुल प्रभारी (आहरण वितरण अधिकारी) द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी संबंधित संकुल प्रभारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र का विद्यालय रिकार्ड से मिलान कर उस पर प्रतिहस्ताक्षर कर संबंधित विद्यार्थी मित्र को उपलब्ध करायेंगे।
- विद्यार्थी मित्र द्वारा पृथक-पृथक संकुल में कार्य करने की स्थिति में संकुल प्रभारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी कुल अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
- संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत रहा कोई भी विद्यार्थी मित्र अनुभव प्रमाण पत्र वंचित न रहे।

उक्तानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी मित्र का प्रथम कार्यग्रहण दिनांक से वर्तमान तक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये जाने के साथ-साथ विद्यार्थी मित्र के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है / दण्डित नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र में उल्लेख करेंगे। इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नः- उपर्युक्तानुसार।

(लक्ष्मीनारायण आसोपा)
निदेशक
संस्कृत–शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार पालना सुनिश्चित कराते हुए अधिनस्थ संकुल प्रभारियों को निर्देशित कर नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. रक्षित पत्रावली

(डॉ0 रामकुमार दाधीच)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत–शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय...

क्रमांक दिनांक

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री / .... पुत्र / पुत्री .... कार्यालय / विद्यालय .... पद .... पर कार्यरत है / थे।

श्री / श्रीमती / सुश्री / .... उक्त पद पर निम्नानुसार कार्यरत है / थे।

1. दिनांक .... से दिनांक .... तक
2. दिनांक .... से दिनांक .... तक
3. दिनांक .... से दिनांक .... तक
4. दिनांक .... से दिनांक .... तक
5. दिनांक .... से दिनांक .... तक

उक्त विवरण के अनुसार इनका कुल अनुभव वर्ष .... माह .... है। इनके विरूद्ध किसी भी प्रकार के विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है और ना ही दण्डित किया गया है।

नोट :– राजस्थान विद्यालय सहायक अधिनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 16 के अनुसार अनुभव की गणना शैक्षिक वर्ष 2014–15 के समाप्ति (16 मई, 2015 तक) एक वर्ष का अनुभव पूर्ण होना आवश्यक है।

दिनांक ....

(हस्ताक्षर)
नाम व हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी
मय पदनाम मोहर